22.10.24 अधिवक्ता वादी एवं वादी अधिवक्ता को प्रतिवादिगण की तरफ से हेतु के पश्चात अवसर दिये जाने का दिनांक 05.02.24 को अंतिम अवसर दिया जाता है एवं वादी अधिवक्ता के प्रतिवादिगण की तरफ से आज तक जवाब न होने के कारण वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादिगण की तरफ से आवश्यक कदम न उठाये जाने के कारण अधिनियम 5 CPC के तहत कार्यवाही अमल में लाने अंतिम पक्ष की तरफ से तय की दिनांक 29.10.24 को नियत है।

29.10.24 अधिवक्ता वादी एवं वादी अधिवक्ता को दिनांक 22.10.24 को प्रतिवादिगण की तरफ से नहीं दर्शाने पर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत कार्यवाही की दरख्वास्त दिये जाने के कारण वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादिगण की तरफ से आदिनांक तक सम्मन प्राप्त नहीं किया अतः प्रकरण में आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है परन्तु [illegible] की जाकर [illegible] प्रकरण [illegible] खारिज है।

निर्णय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:55:37 IST
Reason: SelfAttested